तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/5986/2005/नागौर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम बाबूलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>

श्री तेजेन्द्र सिंह राठौड़, उप राजकीय अधिवक्ता।

अप्रार्थी व अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित

——

आदेश

दिनांकः— 09.01.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 31—10—2005 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है ।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी तहसीलदार, परबतसर ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय का पेश किया कि ग्राम धोलिया के खसरा संख्या 61 रकबा 172 बीघा 16 बिस्वा किस्म जमीन गै0मु0 नदी में से मोटीया पुत्र अम्बा नट कौम नट सा0धोलिया को 26 बीघा एवं गीगा पुत्र पूसा कौम भाम्बी को 26 बीघा तथा आसू पुत्र सुखा जाट सा0 राबड़ीयाद को 15 बीघा भूमि का आवंटन कर जरिए नामांतकरण संख्या 125 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया। राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 (2) के अंतर्गत नदी या तालाब की भूमि में खातेदारी/आवंटन करना वर्जित है, अस्थाई रूप से पेटा काश्त के लिए प्रतिवर्ष के लिए आवंटन की जा सकती है। अतः नियम विरूद्ध आवंटन होने से नामांतकरण संख्या 125 खारिज योग्य है तथा नामांतकरण संख्या 146 के द्वारा उनको गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जिसे तहसीलदार परबतसर ने खारिज किया। तत्पश्चात् नामांतकरण संख्या 213 से मोटीया पुत्र अम्बा नट खसरा संख्या 61/8 रकबा 26 बीघा एवं नामांतकरण संख्या 151 से गीगा पुत्र पूसा भाम्बी को खसरा संख्या 61/2 रकबा 26 बीघा तथा नामांतकरण संख्या 211 से आसू पुत्र सुखा जाट खसरा संख्या 61/5 रकबा 15 बीघा गैर खातेदारी से पुनः खातेदारी दी गई। नामांतकरण संख्या 151 से गीगा पुत्र पूसा फौत होन से उत्तराधिकारी के रूप में जवारा, मांगू पि0 गीगा भाम्बी दर्ज, नामांतकरण संख्या 254 से मोटिया पुत्र अम्बानट फौत होने से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/5986/2005/नागौर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम बाबूलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बाबूलाल, प्रेमचंद, मदन पि0 मोटिया व गुलाबी बेवा मोटिया को खातेदारी दी गई। उक्त नामांतकरण स्वतः ही खारिज योग्य है। नामांतकरण संख्या 125 राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 (2) के अंतर्गत नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। इसके पश्चात्वृत्ति नामांतकरण संख्या 146, 211, 213, 151, 236 स्वतः खारिज योग्य है। अतः सभी नामांतकरणों को निरस्त कर पुनः भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज की जावें। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रकरण को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत् किस्म पोखर/नदी/नाला/तालाब/तलाई के साथ रेफरेन्स मण्डल को अभिशंषित किया गया है। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादग्रस्त भूमि गै0मु0 नदी दर्ज है जो राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों में से है जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते हैं। उक्त भूमि का आवंटन/नियमन करना नियमविरूद्ध है। ऐसी भूमि पर अप्रार्थीगण को कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः उक्त भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के हक में दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है, को निरस्त किया जावें तथा भूमि को बिलानाम सरकार किस्म गै0मु0 नदी के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। चूँकि राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2013 से 2032 के अनुसार विवादित आराजी का मिल्कियत सरकारी आराजी नदी व नाले के रूप में दर्ज होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में राजस्व विधियों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/5986/2005/नागौर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम बाबूलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं नियमों के अनुसार पाल, नदी, नाले, तालाबी, तलाई किस्म की भूमि में राजस्व विधियों के अन्तर्गत किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पाल/पायतन, तलाई आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः– **"4. Land not available for allotment under these rules.-** The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः– **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि जोहड़ मय पायतन, नदी/नाला/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर/5986/2005/नागौर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम बाबूलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गैर मुमकिन श्रेणी जोहड़ मय पायतन, नाला, पाल, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधि विरुद्ध है। पूर्व राजस्व रिकोर्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म गै.मु. नदी/नाला खाता सरकार दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी इंद्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम धोलिया के खसरा संख्या 61 रकबा 172 बीघा 16 बिस्वा किस्म गै0मु0 नदी आराजी में से अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन/पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी तथा इसके पश्चातवर्ती दर्ज समस्त नामांतकरणों को निरस्त कर भूमि पूर्ववत् किस्म गै.मु. नदी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित करने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	